राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 111/2022

1. रामोतार पुत्र मेदाराम उम्र 57 वर्ष नवीरा चन्द्राराम
2. ओमप्रकाश पुत्र मेदाराम उम्र 40 वर्ष नवीरा चन्द्राराम
   जाति माली निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. मेदाराम पुत्र चन्द्राराम उम्र 90 वर्ष
2. राजेश कुमार पुत्र मेदाराम नवीरा चन्द्राराम उम्र 46 वर्ष
3. हनुमान प्राद पुत्र मेदाराम नवीरा चन्द्राराम उम्र 52 वर्ष
4. रोहिताश पुत्र मेदाराम नवीरा चन्द्राराम उम्र 50 वर्ष
   निवासीगण ढाणी बागोरिया तन् ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. मनोहरी देवी पुत्री मेदाराम पोत्री चन्द्राराम पत्नी विजेश कुमार जाति माली निवासी हाल आबाद ढाणी डहरवाला तन् बबाई तहसील खेतड़ जिला झुन्झुनूं, राज0
6. विधाधर सैनी पुत्र मेघचन्द जाति माली निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता</u> :–

1. श्री ग्यारसी लाल गुर्जर – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरधारी लाल सैनी – अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 13–12–2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 चन्द्राराम पुत्र पिराना के वारिश/उत्तराधिकारी हैं। चन्द्राराम का देहान्त 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत ख.नं. 251 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, गत ख.नं. 252 रकबा 1 बीघा [illegible] ख.नं. 253 रकबा 4 बिस्वा, गत ख.न. 257 रकबा 3 बिस्वा, गत ख.नं. [illegible] ख.नं. 255 रकबा 2 बिस्वा, गत ख.नं. 256 रकबा 8 बिस्वा, गत ख.नं. 259 रकबा [illegible] बिस्वा, गत ख.नं. 258 रकबा [illegible] बिस्वा, गत ख.नं. 260 रकबा 6 बिस्वा, गत ख.नं. 261 [illegible] 2 बीघा 18 बिस्वा, ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

262 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, गत ख.नं. 263 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 264 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, गत ख.नं. 265 रकबा 16 बिस्वा, गत ख.नं. 503 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, गत ख.नं. 521 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, गत ख.नं. 522 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, गत ख.नं. 524 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, गत ख.नं. 525 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 19 कुल रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के दादा चन्द्राराम पितरान तिराना का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी संवत् 2012 के खाता सं. 4 में दर्ज है तथा गत ख.नं. 422 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, गत ख.नं. 426 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, गत ख.नं. 500 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थीगण के दादा चन्द्राराम का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो जमाबन्दी संवत् 2012 में दर्ज है। हाल पैमाईश में गत खसरा नंबरों के हाल खसरा नंबर 69 रकबा 0.39 है., ख.नं. 706/334 रकबा 0.04 है., ख.नं. 711/383 रकबा 0.30 है., ख.नं. 74 रकबा 0.30 है., ख.नं. 80 रकबा 0.10 है., ख.नं. 81 रकबा 0.06 है., ख.नं. 82 रकबा 0.21 है., ख.नं. 913/63 रकबा 0.05 है., ख.नं. 919/70 रकबा 0.08 है., तथा हाल खसरा नंबर 366 रकबा 0.15 है., ख.नं. 381 रकबा 0.47 है., ख.नं. 383 रकबा 0.03 है., ख.नं. 384 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 रकबा 0.62 है., ख.नं. 394 रकबा 0.28 है., ख.नं. 395 रकबा 0.55 है., ख.नं. 382 रकबा 0.17 है., ख.नं. 705/382 रकबा 0.06 है. कुल किता 18 कुल रकबा 4.56 है. बने हैं। वर्णित भूमि प्रार्थीगण के दादा यानि अप्रार्थी सं. 1 के पिता चन्द्राराम पुत्र पिराना से विरासतन में प्राप्त हुई है जो पैतृक भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 लगा. 5 अप्रार्थी सं. 1 जायन्दा पुत्र व पुत्री है तथा स्व. चन्द्राराम पुत्र पिराना के पोत्र है। इस कारण पैतृक सम्पति में प्रार्थीगण क जन्म से ही पो–पार्सनर होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि पर काश्त करके अपना व अपने बच्चो का व अप्रार्थी सं. 1 व अपनी माता का भरण पोषण करते हैं। अप्रार्थी सं.1 ने उक्त प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 3 में वर्णित भूमि हाल ख.नं. 382 रकबा 0.17 है., ख.नं. 705/32 रकबा 0.06 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है. को प्रार्थीगण की बिना जानकारी के अप्रार्थी सं. 6 को बेचान कर दिया जिसका नामांतरकरण अप्रार्थी सं. 6 के नाम से दर्ज हो गया व अप्रार्थी सं. 6 ने अपने नाम से अलग खाता . 359 बनवा लिया जिसमें [illegible] दर्ज है। भूमि हाल ख.नं. 69 रकबा 0.39 है., ख.नं. 706/334 रकबा 0.04 है., ख.नं. 711/383 रकबा 0.30 है., ख.नं. 74 रकबा 0.30 है., ख.नं. 80 रकबा 0.10 है., ख.नं. 81 रकबा 0.06 है., ख.नं. 82 रकबा 0.21 है., ख.नं. 913/63 रकबा 0.05 है., ख.नं. 919/70 रकबा 0.08 है., कुल किता 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 1.53 है. हाल जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 191 में तथा हाल खसरा नंबर 366 रकबा 0.15 है., ख.नं. 381 रकबा 0.47 है., ख.नं. 383 रकबा 0.03 है., ख.नं. 384 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 रकबा 0.62 है., ख.नं. 394 रकबा 0.28 है., ख.नं. 395 रकबा 0.55 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.80 है. हाल जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण की पैतृक भूमि जो उसे विरासतन में मिली है उसे खुर्द बुर्द बेचान, रहन, दान आदि करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 वाद वर्णित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने वह उक्त भूमि को उपयोग उपभोग व मैनेजन के रूप में काम में ले सकता है उसको खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम से दर्ज रिकार्ड के आधार पर उक्त पैतृक भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देता है तो प्रार्थीगण अपने हक व अधिकारों से व अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने दावा विवादित भूमि वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 120 में दर्ज खसरा नंबर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 में दर्ज खसरा नंबर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 में दर्ज खसरा नंबर 366 रकबा 0.15 है., ख.नं. 381 रकबा 0.47 है., ख.नं. 383 रकबा 0.03 है., ख.नं. 384 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 रकबा 0.62 है., ख.नं. 394 रकबा 0.28 है., ख.नं. 395 रकबा 0.55 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.80 है. एवं खाता सं. 191 हाल ख.नं. 69 रकबा 0.39 है., ख.नं. 706/334 रकबा 0.04 है., ख.नं. 711/383 रकबा 0.30 है., ख.नं. 74 रकबा 0.30 है., ख.नं. 80 रकबा 0.10 है., ख.नं. 81 रकबा 0.06 है., ख.नं. 82 रकबा 0.21 है., ख.नं. 913/63 रकबा 0.05 है., ख.नं. 919/70 रकबा 0.08 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.53 है. को किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि ना करें एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें। खाता सं. 359 खसरा नंबर 382 रकबा 0.47 है., ख.नं. 705/352 रकबा 0.06 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

(ख) अप्रार्थी सं. 7 को जरिये अथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि अप्रार्थी सं. 1 दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम गोठडा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 में दर्ज खसरा नंबर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 में दर्ज खसरा नंबर 366 रकबा 0.15 है., ख.नं. 381 रकबा 0.47 है., ख.नं. 383 रकबा 0.03 है., ख.नं. 384 रकबा 0.70 है., ख.नं. 387 रकबा 0.62 है., ख.नं. 394 रकबा 0.28 है., ख.नं. 395 रकबा 0.55 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.80 है. एवं खाता सं. 191 हाल ख.नं. 69 रकबा 0.39 है., ख.नं. 706/334 रकबा 0.04 है., ख.नं. 711/383 रकबा 0.30 है., ख.नं. 74 रकबा 0.30 है., ख.नं. 80 रकबा 0.10 है., ख.नं. 81 रकबा 0.06 है., ख.नं. 82 रकबा 0.21 है., ख.नं. 913/63 रकबा 0.05 है., ख.नं. 919/70 रकबा 0.08 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.53 है. भूमि की बाबत किसी प्रकार का विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तान्तरण पत्र का दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु पेश करें तो उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवायें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि बेचना व अप्रार्थी सं. 6 द्वारा खरीदशुदा भूमि का खाता अलग करवाना स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 अपनी आवश्यकता के लिए अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान दान करने के लिए कानून में स्वतंत्र है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से कोई बातचीत नहीं की तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य दर्ज किये हैं। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण से अलग रहता है उसे अपने भरण पोषण व दवाईयों के लिए रूपयों की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी सं. 1 किसी के बहकावे में नहीं रहता है वह अपने सोच समझ से ही अपना काम करता है। अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपने पैतृक भूमि में अपने हिस्से की भूमि को काम में लेता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज हाल खसरा नंबर 38[illegible] रकबा 0.17 है., ख.नं. 705/382 रकबा 0.06 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है मय अप्रार्थी सं. 6 को बेचान करना और अप्रार्थी सं. 6 की भूमि का खाता अलग होना स्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नहीं है कि वे अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें। प्रार्थीगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है व न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है बल्कि दोनों ही बाते अप्रार्थी सं. 6 के पक्ष में है। अप्रार्थी सं. 6 ग्राम गोठड़ा स्थित हाल ख.नं. 382, ख.नं. 705/382 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है. का एकांकी खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 6 को हैरान व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2012–15, संवत् 2021–24, संवत् 2014, संवत् 2017–20 का अवलोकन किया गया जिसके वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 503, 521, 522, 524, 525 कुल किता 19 कुल रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा पूर्ण पाला सागर मेदा पि0 मुखा हि0 1/3 चन्दरा मोती पि0 पिराणा हि0 2रु कौम माली सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2030–33 में उक्त वादग्रस्त भूमि गत खसरा नंबरान रामस्वरूप पुत्र लच्छुराम 1/12 माला साग मेदा पि0 मुखा ब0हि0बराबर 1/4 मैदाराम पुत्र चन्दरा हि0 1/3 किशना मूला पि0 मोती हि0 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई। भू–प्रबन्ध विभाग की पैमाईश के दौरान साबिक खसरा नंबर 61,62, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 705/752, 706/334, 711/383 पूर्ण, माला, सागर झेदा पि0 मुखा 1/3 मेदा पुत्र चन्द्रा 1/3 किशना, मूला पि0 मोती 1/3 जाति माली साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता सं. 359 विधाधर सैनी पुत्र मेघचन्द हिस्सा पूर्ण जाति माली सा.पपुरना अप्रार्थी सं. 6 की एकांकी खातेदारी में तथा खाता संख्या 191 व खाता सं. 190 अप्रार्थी सं. 1 मेदा पुत्र चन्द्रा हिस्सा पूर्ण जाति माली सा.देह एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 6 की खातेदारी भूमि है जिसमें भूमि खाता सं. 359 का विधिवत् खाता विभाजन होने पर अप्रार्थी सं. 6 की खातेदारी में दर्ज [illegible] रिकार्ड है। प्रार्थीगण [illegible] भू–प्रबन्ध विभाग की पैमाईश संवत् 2043 से वर्तमान जमाबन्दी संवत [illegible] के बीच की जमाबंदिया पत्रावली पेश नहीं की है जिसके [illegible] कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला-झुन्झुनूं (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.12.26 12:20:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner